देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 1159/भू अ० दिनांक : 30/10/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—नावाडीह, थाना—देवीपुर, थाना सं०—292, अंचल—देवीपुर, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **सतसंगनगर—भिरखीबाद (एम०डी०आर०—235) पथ के रोहिणी, नावाडीह, तिलजोरी, देवीपुर एवं चौधरीडीह के बाईपास निर्माण कार्य** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—नावाडीह, थाना—देवीपुर, थाना सं०—292, अंचल—देवीपुर, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **4.31** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :—

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	180	रैयती	बाड़ी—1	0.65	अकलेश्वर दुगे वो सदानंद दुबे वो जागेश्वर दुबे पे० साहेब दुबे वो राम देबु वो सोखी दुबे बल्द बेनी दुबे वो नुनु दुबे पे० राम प्रसाद दुबे वो जगदेव दुबे बल्द गुरू प्रसाद दुबे वो अमीर दुबे वो महावीर दुबे (ज०रै०)	रोहिणी, 196	हथियारा, 294	अर्जित रकवा का अंश	अर्जित रकवा का अंश।
2	2	152	रैयती	धानी—1	0.30	तथैव।				
3	2	155	रैयती	धानी—2	0.26	तथैव।				
4	17	79	रैयती	धानी—2	0.06	गीता देवी पति वासो महरा वो ललिया देवी पति मोही महरा वो अशोक दास पे० अकलु महरा अंश समान सा० देह।				
5	17	82	रैयती	धानी—2	0.08	तथैव।				
6	17	84	रैयती	धानी—3	0.01	तथैव।				
7	17	83	रैयती	धानी—2	0.08	तथैव।				
8	19	633	रैयती	धानी—3	0.18	आनन्दी झा पे० बम झा वो काशीनाथ झा पे० कैलाश झा अंश समान सा० देह।				
9	19	154	रैयती	धानी—2	0.14	तथैव।				
10	19	146	रैयती	धानी—3	0.02	तथैव।				
11	19	38	रैयती	धानी—3	0.10	तथैव।				
12	19	36	रैयती	बाड़ी—1	0.28	तथैव।				
13	20	91	रैयती	धानी—2	0.70	आनन्दी झा पे० बम झा वो काशीनाथ झा पे० कैलाश झा वो नागेन्द्र राजहंश वो धनंजय राजहंस पे० महेन्द्र राजहंस अंश समान सा० देह।				
14	21	156	रैयती	धानी—1	0.21	मिथला देवी पति विष्णु झा वो जया देवी पति यमुना झा वो किशुन झा वो भाभी झा पे० नथु झा। अंश समान सा० देह।				
15	21	40	रैयती	धानी—3	0.13	तथैव।				
16	21	41	रैयती	धानी—3	0.18	तथैव।				
17	29	80	रैयती	धानी—2	0.09	मो० पावर्ती देव्या जौजे प्यारी झा (जा०रै०)				

18	37	42	रैयती	धानी–3	0.01	शांति देवी पति राधेश्याम झा वो दिलीप झा पे० जयन्ति झा अंश समान सा० देह।				
19	49	77	रैयती	धानी–2	0.38	विरेन्द्र कुमार सिंह वो प्रताप नारायण सिंह वो पंकज कुमार सिंह पे० भुवनेश्वर प्रसाद सिंह वो कल्याणी देवी पति मदन मोहन सिंह ।अंश समान सा० देह।				
20	49	78	रैयती	धानी–2	0.03	तथैव।				
21	49	67	रैयती	धानी–2	0.32	तथैव।				
22	50	44	रैयती	धान–3	0.04	शालीग्राम झा बल्द मधु झा (ज०रै०)				
23	61	85	रैयती	धानी–3	0.06	कल्याणी देवी पति रूद्रनारायण देव वो आनन्द नारायण देव वो नंदकिशोर देव पे० स्व० शांति प्र० देव। अंश समान सा० देह।				
				कुल रकवा–	**4.31**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर — अपर समाहर्त्ता, देवघर — समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 1152/ भू अ०, देवघर, दिनांक 30/10/19

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर — अपर समाहर्त्ता, देवघर — समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।